Amrapali Village Residents Welfare Association

Amrapali Village, Gyan Khand-II, Kaala Patthar, Indirapuram
Ghaziabad-201014 (U.P.) # Registration Number: I-52637 / 2009
Email: avrwagzb@gmail.com # www.avrwa.com # www.facebook.com/avrwa

संदर्भ सं. : ए.वी.आर.डब्लु.ए./2016-17/ एल 2

दिनांक 11 जून, 2016

सेवा में,

श्री मान उपाध्यक्ष महोदय
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
विकास पथ, गाजियाबाद

विषय :काला पत्थर, इंदिरापुरम, (गाजियाबाद) के पास अवैध कूड़ा डंपिंग यार्ड को तत्काल प्रभाव से बंद करवाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

इस पत्र के माध्यम से मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ध्यान इंदिरापुरम के काला पत्थर के पास नेशनल हाइवे-24 और हमारे आम्रपाली विलेज आवासीय सोसाइटी के बगल में अवैध कूड़ा डंपिंग यार्ड की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा जिसके बारे में मेरे तथा अन्य स्थानीय निवासियों के द्वारा समय समय पर महोदय को पत्र तथा मौखिक रूप से अवगत कराया गया है।

हालांकि इस समस्या के बारे में तो विभाग के पास पुरी जानकारी उप्लब्ध है, परंतु फिर भी बताते चलूं कि डंपिंग यार्ड की वजह से पूरा इलाका दुर्गन्धमय रहता है और लोगों में सांस की बीमारी फैल रही है। कूड़ा डंपिंग यार्ड की स्थिति जस की तस बनी हुई है। पिछले वर्ष भी इस डंपिंग यार्ड की वजह से डेंगू फ़ैल गया था जिसकी जानकारी जिले के आला अधिकारी को दी गयी थी तथा प्रिंट मीडिया में भी इसकी खबर आई थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अन्य आला अधिकारियों व मुख्य चिकित्सासे भी अनुरोध किया गया परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गयी । यहाँ विगत कई महीनों से कूड़ों को जलाया भी जाता है जिसकी जानकारी भी माननीय अधिकारीयों को दिया गया है। बारिश का मौसम आने वाला है, डर है कि अगर इस समस्या पर जल्द से जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में ये महामारी का रूप ले सकती है।

इस सम्बंध में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अनेको बार पत्राचार किया गया (**पृष्ठ 3 से 6**) लेकिन उसका आज तक ठोस जवाब नहीं आया। **हालांकि विभाग ने ऑनलाइन जवाब में यह माना है कि प्रकरण भूमि जिसमे डंप यार्ड है उसका कुछ भाग जी डी ए के द्वारा अधिग्रहित है और उसे हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। ऑनलाइन शिकायत संख्या GDA3607 से इस बात की पुष्टि की जा सकती है (पृष्ठ 7)।** इस सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों ने अनेको बार जी.डी.ए. के उपाध्यक्ष व अन्य अधिकारीयों से मुलाकात की परन्तु आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। विगत 1 जनवरी 2016 को फेडरेशन ऑफ अपार्ट्मेंट ऑनर्स एसोशियेशन, गाजियाबाद के प्रतिनिधि ने उपाध्यक्ष महोदय से मुलाकात करके समस्या से अव्गत कराया और इस बारे में पत्र भी सौंप (**पृष्ठ 8 से 10**) तथा उपध्यक्ष महोदय ने आश्वसन भी दिय परंतु पुन कोई कार्रवई नहीं की गयी।बहुत सरे शिकायत तो जी डी ए के हेल्पलइन पर बिन कार्यवही के पडे हुए हैं।

इस संदर्भ में हमने गाजियाबाद नगर निगम (**पृष्ठ 11 से 13**), जिलधिकारी महोदय से लेकर भरत सरकार के शहरी विकस मंत्रलय व् पर्यवरण मंत्रलय तक में शिकयत की गयी परंतु शायद शिकयत पत्र को कुछ तवज्जो नहीं दिय गया। जहं पर्यवरण मंत्रलय ने उसे राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोई को अग्रसरित किय(**पृष्ठ 14 से 15**), शहरी विकस मंत्रलय ने भी उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसरित करके अपन किनर कर लिय (**पृष्ठ 16**)। प्रधनमंत्री कार्यलय ने भी इस सम्बन्ध में तीन बार प्रदेश के मुख्य सचिव को आवश्यक कार्यवही के लिये अग्रेषित किय (**पृष्ठ 17 से 22**), परन्तु किसी भी तरफ से इस समस्य का निदन होते नहीं दिख रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश से लेकर माननीय मुख्यमंत्री

Amrapali Village Residents Welfare Association
Amrapali Village, Gyan Khand-II, Kaala Patthar, Indirapuram
Ghaziabad-201014 (U.P.) # Registration Number: I-52637 / 2009
AVRWA **Email:** avrwagzb@gmail.com # **www.avrwa.com** # www.facebook.com/avrwa

---

महोदय को भी पत्र के द्वारा अवगत कराया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मेरे शिकायत पत्र को प्रधान सचिव, शहरी विकास मंत्रालय को कार्यवाही हेतु भेज दिया (**पृष्ठ 23 से 27**)। परंतु दुखद पहलु ये है कि अभी तक मामला के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है व समस्या जस का तस बना हुआ है। आपने अनेकों बार हमें भरोसा दिलाया लेकिन वह भी व्यर्थ ही साबित होता दिखाई दे रहा है। जन सुनवाई (तहसील दिवस) विभाग में भी दिनांक 8 फरवरी 2016 को आवेदन डाला गया जिसे जिलाधिकारी महोदय ने जी.डी.ए. के उपाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित किया। वेबसाइट पर स्थिति देखने पर पता चलता है कि अभी भी यह प्राधिकरण में ही लम्बित है(**पृष्ठ 28**)। इसके अलावे अनेकों बार अखबार और न्यूज़ चैनल पर भी इसके बारे में खबर आयी पर कोई कार्रवाई नही हो रही है। (**पृष्ठ 29 से 36**) **विभाग के अधिकारी समय समय पर मीडिया में बयान देकर कार्रवाई का आश्वासन भर ही देते हैं।**

महोदय, हमलोग भी इस राज्य के नागरिक हैं तथा हमें भी जीने के लिये प्रदुषणमुक्त वातावरण चाहिये। अतः आपसे अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस अवैध कूड़ा डंपिंग यार्ड से यथाशीघ्र मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रसस्त करें। हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। यदि यहां से डंपिंग यार्ड हटाया नहीं गया तो भविष्य में होने वाली बिमारी या जान माल के नुक्सान की जिम्मेवारी विभाग पर ही होगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
सचिव, आम्रपाली विलेज रेसिडेंसियल वेलफेयर एसोसियेशन,
के-601, आम्रपाली विलेज, इंदिरापुरम
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

संलग्नक:

1. जी डी ए में किये गये पत्राचार की प्रति। (**पृष्ठ 3 से 6**)
2. जी डी ए द्वारा ऑनलाइन शिकायत संख्या **GDA3607 के निष्पादन** की प्रति (**पृष्ठ 7**)
3. फेडरेशन ओफ अपार्ट्मेंट ओनर्स एसोशियेशन, गाजियाबाद के द्वरा दिया गया पत्र की प्रति।(**पृष्ठ 8 से 10**)
4. गाजियाबाद नगर निगम को भेजे गये पत्र की प्रति।(**पृष्ठ 11 से 13**)
5. पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को अग्रसारित का प्रमाण।(**पृष्ठ 14 से 15**)
6. शहरी विकास मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित होने का प्रमाण।(**पृष्ठ 16**)
7. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को तीन परिवेदना पत्र अग्रसारित का प्रमाण।(**पृष्ठ 17 से 22**)
8. मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गये पत्र व प्रधान सचिव, शहरी विकास विभाग को अग्रसारित प्रति।(**पृष्ठ 23 से 27**)
9. जन सुनवाई, उत्तर प्रदेश शासन को दिये गये परिवेदना और उसकी स्थिति।(**पृष्ठ 28**)
10. प्रिंट मीडिया में इस सम्बंध में छपे समाचार की प्रति।(**पृष्ठ 29 से 36**)

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2. प्रधान सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. मुख्यमंत्री कार्यालय, लखनउ, उत्तर प्रदेश।
4. प्रेसीडेंट, फेडरेशन ऑफ अपार्ट्मेंट ऑनर्स एसोशियेशन, गाजियाबाद।

जन सम्पर्क कार्यालय
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
पत्र प्राप्ति का दि0 10/6/16